

3 अगस्त, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-21

इलिनाॅय में गृह-हीनता से लड़ने के लिए कार्यकारी आदेश

जहाँ, COVID-19 के कारण इलिनाॅय को मजबूत, सहयोगी और अनुकूल बनाना जरूरी है। महामारी ने हमारे सामाजिक ताने-बाने की गहरी दरारों को भी खोल दिया है और उन्हें बड़ा कर दिया है। गृह-हीनता हमारे राज्य के लिए एक व्यापक चुनौती बनी हुई है जिसमें कई ड्राइवर शामिल हैं जिनमें व्यवहारिक स्वास्थ्य, पुनः प्रवेश, आघात और मादक द्रव्यों के सेवन के विकार, के साथ-साथ गरीबी, जाति और शिक्षा के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारक भी शामिल हैं; और,

जबकि, मौजूदा संकट के कारण आर्थिक अस्थिरता की लहरें पैदा हो गई हैं, जिससे इलिनाॅयवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा उन पर ही आवास की असुरक्षा के बादल मंडरा रहे हैं। इसके लिए हमारे राज्य के सुरक्षा जाल को मजबूत करने की जरूरत है ताकि गृह-हीनता, एक दुर्लभ, संक्षिप्त और गैर-आवर्ती अनुभव बन जाए। सफलता के लिए राज्य के प्रयासों के समन्वय की जरूरत होती है ताकि इलिनाॅय के पास उन संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता हो जो गृह-हीनता को समग्र रूप से संबोधित करते हैं; और,

जबकि, यह इलिनाॅय गरीबी उन्मूलन आयोग द्वारा निर्मित नींव को कायम रखने, और गृह-हीनता के लिए एक मजबूत और टिकाऊ समाधान निष्पादित करने का एक अच्छा मौका है। इलिनाॅय विरासत में भावी पीढ़ियों को एक ऐसा राज्य देगा जो मानव जीवन की गरिमा और सबके लिए एक घर पाने के अधिकार को महत्व देता है; और,

जबकि, जनवरी 2019 में स्टेट्स कंटेन्सुअम ऑफ केयर द्वारा अमेरिकी आवास एवं शहरी विकास विभाग को रिपोर्ट किए गए अनुसार, इलिनाॅय में लगभग 10,000 लोगों को किसी भी दिन बेघर होने का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें परिवार, बुजुर्ग और अकेले युवा वयस्क शामिल हैं; और,

जबकि, अमेरिकी शिक्षा विभाग को रिपोर्ट किए गए अनुसार, लगभग 52,978 इलिनॉय सरकारी स्कूली छात्रों को 2017-2018 स्कूल वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान गृह-हीनता का सामना करना पड़ा था। उनमें से, 467 छात्र आश्रयहीन थे, 5,140 छात्र आश्रयों में थे, 2,037 छात्र होटल/मोटल में थे, और 44,875 छात्रों को आवास साझा करना पड़ा (घर के मुखिया और पति या पत्नी या साथी के अलावा एक या उससे अधिक वयस्कों का एक साथ रहना, जैसे कि घर में एक वयस्क बच्चे का रहना, दो संबंधित या असंबंधित परिवारों का एक साथ रहना, या एक वयस्क बच्चे के साथ एक माता/पिता का रहना); और,

जबकि, इलिनॉय विश्वविद्यालय, शिकागो और दक्षिणी इलिनॉय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए COVID-19 निष्कासन संकट अध्ययन के अनुसार, 414,000 इलिनॉय परिवार, ऐसे किराएदार थे जिनकी आमदनी कम थी और जिनके परिवार में कम से कम एक सदस्य COVID-19 से प्रभावित उद्योग में काम कर रहा था; और,

जबकि, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के निष्कासन लैब के अनुसार, COVID-19 के आर्थिक प्रभाव और निष्कासन मोरेटोरियम की समाप्ति के कारण, 2021 में लगभग 60,000 निष्कासनों के होने की उम्मीद है, जो 2019 की तुलना में लगभग तिगुना है; और,

जबकि, अश्वेत लोग COVID-19 से अनुपातहीन नकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। काफी लम्बे समय से अश्वेत लोगों की वित्तीय स्थिरता और आवासीय सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाले जातिवाद का नुकसान उठा रहे अश्वेत लोगों के समुदायों को अब मौजूदा महामारी के कारण और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गृह-हीनता की रोकथाम और आवास सुरक्षा कार्यक्रमों और नीतियों में एक दौड़-सचेत ढांचे और इकिटी-आधारित निर्णय लेने को शामिल करना और प्राथमिकता देना चाहिए; और

जबकि, महामारी से उबरने में वर्तमान COVID-19 संकट के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आवास असुरक्षा के जोखिम वाले व्यक्तियों के साथ-साथ पुरानी बेघरता का अनुभव करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए नवीन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। चूंकि बेघरता मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन विकार, गरीबी, जातिवाद, सुधार प्रणाली के साथ अनुभव और हिंसा से प्रेरित आघात सहित मुद्दों की एक जटिल श्रृंखला में निहित है, बेघरों को समाप्त करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन को लागू करने के लिए उच्च स्तर के समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारें, साथ ही निजी क्षेत्र और परोपकारी हितधारक; और,

जबकि, इलिनॉय गृह-हीनता रोकथाम अधिनियम (310 ILCS 70) के अंतर्गत इलिनॉय मानव सेवा विभाग को परिवारों को उनके मौजूदा घरों में स्थिर करने, आपातकालीन आश्रयों में परिवारों के रहने के समय को कम करने, और परिवारों को किफायती परिवर्तनकालिक या स्थायी आवास प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक परिवार गृह-हीनता रोकथाम और सहयोग कार्यक्रम की स्थापना करनी चाहिए; और,

जबकि, राजकीय देखभाल प्रणालियों को छोड़कर जाने वाले युवाओं में गृह-हीनता को रोकने के लिए राज्य के रणनीतिक दृष्टि को प्रेरित करने के लिए इलिनॉय युवा गृह-हीनता उपसमिति अधिनियम (15 ILCS 60) तैयार किया गया।

जबकि, बेघरों को रोकने और गृह-हीनता का सामना करने वाले परिवारों की मदद करने के लिए एक राज्यव्यापी अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स और एक सामुदायिक सलाह परिषद का गठन करना जरूरी है,

जिसके लिए COVID-19 के जवाब में शुरू किए गए अंतर-एजेंसी समन्वय को आधार बनाना होगा और इस आम लक्ष्य के लिए राज्य के संसाधनों को एक साथ लाना होगा, समाधान तैयार और लागू करने में सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी, और स्थानीय आवास प्राधिकरणों, देखभाल निरंतरता नेटवर्कों, और आवास अधिवक्ताओं से काफी जानकारी हासिल करनी होगी;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूँ:

1. एक इलिनॉय गृह-हीनता अंतर-एजेंसी टास्क फ़ोर्स ("टास्क फ़ोर्स") की स्थापना की गई है।
2. एक गृह-हीनता सामुदायिक सलाह परिषद ("सामुदायिक सलाह परिषद") की स्थापना की गई है।
3. एक राज्य गृह-हीनता प्रमुख ("चीफ") की स्थापना की गई है जो इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services (IDHS)) के सचिव को रिपोर्ट करेंगे और जो IDHS में स्थित है। चीफ, इस टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता करेंगे, सामुदायिक सलाह परिषद की सह-अध्यक्षता करेंगे, और इलिनॉय में गृह-हीनता और अनावश्यक संस्थानीकरण को कम करने, गृह-हीनता का सामना करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव सेवा सम्बन्धी परिणामों को बेहतर बनाने, और आवासीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करने वाले सुरक्षा जालों को मजबूत करने के लिए राज्य के व्यापक प्रयास का नेतृत्व करेंगे। चीफ, एक गृह-हीनता रोकथाम निर्णय-निर्माता और प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे जिसमें कानूनी, नियम, और बजट के माध्यम से बहु-एजेंसी प्रयास में सहयोग करना और इन गंभीर मुद्दों पर इलिनॉय महासभा, संघीय, और स्थानीय नेताओं के साथ बात करना शामिल है।
4. चीफ के नेतृत्व में टास्क फ़ोर्स, वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेंगे और:
 - a. गृह-हीनता का सामना कर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव सम्बन्धी सेवाओं को बेहतर बनाते हुए, और आवासीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करने वाले सुरक्षा जालों को मजबूत बनाकर, सही मायने में शून्य गृह-हीनता लाने के लक्ष्य के साथ गृह-हीनता और अनावश्यक संस्थानीकरण की समस्या पर ध्यान देने के लिए 30 मार्च 2022 तक राज्यपाल और महासभा को प्रदान करने के लिए एक राजकीय योजना तैयार करेंगे।
 - b. राजकीय योजना में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीति, नियामक, और संसाधन सम्बन्धी परिवर्तनों का सुझाव देंगे।
 - c. राज्य सरकार के भीतर, और काफी हद तक, गृह-हीनता का सामना कर रहे लोगों के लिए एक अधिवक्ता के रूप में राज्य में काम करेंगे।
 - d. इलिनॉय में गृह-हीनता को समाप्त करने के लिए स्थानीय योजनाएं तैयार और लागू करने वाले लोगों को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे जिसमें, बिना किसी सीमा के, सामुदायिक सलाह परिषद और उसके सदस्य भी शामिल हैं।
 - e. जरूरत पड़ने पर टास्क फ़ोर्स के नीति सम्बन्धी सुझावों के बारे में बताने के लिए हितधारकों, ग्राहकों और अधिवक्ताओं को बुलाएंगे।
 - f. सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन सम्बन्धी सुझाव देंगे और कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

- g. संबंधित प्रयासों को एकजुट करने के लिए प्रभावी और अंतर-एजेंसी सहयोग और प्रणाली एकीकरण का सुझाव और बढ़ावा देंगे, जिसमें इलिनॉय युवा गृह-हीनता उपसमिति, इलिनॉय गरीबी उन्मूलन आयोग, और गृह-हीनता और गरीबी के प्रतिच्छेदन से संबंधित नीति सुझावों का मसौदा तैयार करने के लिए इलिनॉय भूख समापन आयोग के साथ समन्वय करना शामिल है।
 - h. आवश्यक नीति, नियामक और संसाधन वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों का सुझाव देंगे; निगरानी सम्बन्धी सुझाव देंगे जिससे जवाबदेही, परिणाम और निरंतर सफलता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी; और राज्यपाल और महासभा को प्रदान करने के लिए कार्रवाई के लिए विशिष्ट प्रस्ताव और सुझाव तैयार करेंगे।
 - i. 1 दिसंबर 2022 से, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर तक राज्यपाल और महासभा के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें टास्क फोर्स की गतिविधियों, इलिनॉय में गृह-हीनता को रोकने और समाप्त करने से जुड़े कार्यों की प्रगति, सामुदायिक सलाह परिषद के सुझावों और टास्क फोर्स के उत्तरदायी सुझावों और कार्रवाइयों का सारांश शामिल होगा, और गृह-हीनता से संबंधित परिणामों और उपायों की रिपोर्टिंग शामिल होगी।
5. टास्क फोर्स के सदस्यों के समूह में गृह-हीनता को समाप्त करने और रोकने से संबंधित राजकीय एजेंसियों के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे जिन्हें चीफ के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- a. टास्क फोर्स के सदस्यों के समूह में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:
 - i. चीफ, जो टास्क फोर्स अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
 - ii. एक सदस्य इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करेगा।
 - iii. एक सदस्य इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services) का प्रतिनिधित्व करेगा।
 - iv. स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता वाला इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (Department of Healthcare and Family Services) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - v. इलिनॉय राजकीय शिक्षा बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो गृह-हीनता का सामना करने वाले छात्रों और परिवारों से संबंधित शिक्षा कार्यक्रमों में माहिर होंगे।
 - vi. इलिनॉय उच्च शिक्षा बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो गृह-हीनता का सामना करने वाले छात्रों और परिवारों से संबंधित शिक्षा कार्यक्रमों में माहिर होंगे।
 - vii. गृह-हीनता का अनुभव कर रहे छात्रों और परिवारों की सेवा करने वाले शिक्षा कार्यक्रमों में विशेषज्ञता रखने वाला इलिनॉइस कम्युनिटी कॉलेज बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - viii. इलिनोइस सुधार विभाग (Department of Corrections) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - ix. इलिनॉय सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले के विभाग (Department of Veterans' Affairs) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - x. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज (Illinois Department of Children and Family Services (DCFS)) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।

- xi. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (Illinois Department of Public Health) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xii. इलिनॉय ज़रण विभाग (Illinois Department on Aging) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xiii. इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (Illinois Department of Juvenile Justice) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xiv. कार्यबल विकास से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता वाला इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपॉर्च्युनिटी (Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO)) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xv. इलिनॉय का नियोजन सुरक्षा विभाग (Illinois Department of Employment Security) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xvi. इलीनॉय राज्य की पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
 - xvii. चीफ़ के सुझाव पर, टास्क फ़ोर्स के काम के लिए ज़रूरत पड़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त राजकीय एजेंसी से एक सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है।
6. सामुदायिक सलाह परिषद, सही मायने में शून्य गृह-हीनता प्राप्त करने, गृह-हीनता का सामना करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव सेवा सम्बन्धी परिणामों को बेहतर बनाने, और आवासीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करने वाले सुरक्षा जालों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ गृह-हीनता और अनावश्यक संस्थानीकरण के सम्बन्ध में टास्क फ़ोर्स के साथ चर्चा करने और सुझाव देने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठक करेगा।
 7. सामुदायिक सलाह परिषद में इस कार्यकारी आदेश में वर्णित लक्ष्यों और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रकार के हितधारक शामिल होंगे जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सदस्यों की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग होनी चाहिए ताकि वे पूरे इलिनॉय में शहरी, उप-शहरी, और ग्रामीण समुदायों की ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व कर सकें। चीफ़, ज़रूरत समझने पर, सामुदायिक सलाह परिषद के *पदेन*, गैर-मतदानकारी सदस्यों के रूप में किसी भी राजकीय एजेंसी के कर्मचारियों को शामिल कर सकते हैं।
 - a. सामुदायिक सलाह परिषद में शामिल होंगे:
 - i. चीफ़, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, निम्नलिखित अपॉइंटमेंट्स से, किसी अन्य सामुदायिक सलाह परिषद के सदस्य के साथ एक सह-अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
 - ii. जीवंत अनुभव वाले तीन सदस्य, जिनमें, बिना किसी सीमा के, पूर्व बंधित, सेवानिवृत्त सैनिक, और युवा (16 से 25 वर्ष की उम्र के) शामिल हो सकते हैं।
 - iii. विकलांगिता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
 - iv. परोपकारी निजी वित्त पोषण क्षेत्र से दो सदस्य।
 - v. एक राज्यव्यापी व्यवहार स्वास्थ्य पक्षसमर्थन संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।

- vi. एक राज्यव्यापी आवास पक्षसमर्थन संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
 - vii. स्थानीय देखभाल निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने वाले, कम से कम दो सदस्य।
 - viii. सरकार की स्थानीय इकाइयों (नगरपालिका, काउंटी और/या टाउनशिप) का प्रतिनिधित्व करने वाले, कम से कम तीन सदस्य।
 - ix. काफी हद तक दो सदस्य, जो अन्य नियुक्तियों के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते या न करते हों।
8. टास्क फोर्स और सामुदायिक सलाह परिषद दोनों आम सहमति से काम करने की कोशिश करेंगे; लेकिन, जब उनमें से प्रत्येक के पास एक कार्यसाधक संख्या होगी, तब वे उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के एक सकारात्मक मतदान के आधार पर उपायों को मंजूरी दे सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं।
 9. टास्क फोर्स और सामुदायिक सलाह परिषद के सदस्य, राज्यपाल की इच्छा से काम करेंगे और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से कोई जगह खाली होती है, तो राज्यपाल, शेष तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए तुरंत एक नियुक्ति करेंगे। जब तक वे अपनी मौजूदा सीट के योग्य बने रहेंगे तब तक सदस्य उनकी सेवा करते रहेंगे जब तक कि आगे चलकर एक नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं होती।
 10. उनके द्वारा अपनाए जा सकने वाले किसी भी उप-कानून, नीति, या प्रक्रिया के अलावा, टास्क फोर्स और सामुदायिक सलाह परिषद के सभी परिचालन, इलिनॉय सूचना स्वतंत्रता अधिनियम (5 ILCS 140/1 *इत्यादि*) और इलिनॉय मुक्त बैठक अधिनियम (5 ILCS 120/1 *इत्यादि*) के प्रावधानों के अधीन होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि टास्क फोर्स और सामुदायिक सलाह परिषद और उनकी संबंधित गतिविधियों पर अन्य विधियों को लागू होने से रोका जाएगा।
 11. इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (Department of Human Services) टास्क फोर्स और सामुदायिक सलाहकार परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।
 12. इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। जब तक इस आदेश में विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया जाता है, इस आदेश में कुछ भी किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा या किसी राज्य एजेंसी के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।
 13. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है।
 14. यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

15. यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (Secretary of State) के पास दाखिल होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा और रद्द होने तक प्रभावी रहेगा।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल
(गवर्नर)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 3 सितंबर, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 3 सितंबर, 2021